


168
24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीय
के सम्मन बाद तामिल होकर यात हुए जिसे शाप
किये गये। विपक्षीय उपस्थित। विपक्षीय को डिप्टी
बंद कर कर कर भावाये डिप्टी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही सिपे जाने
का अपेक्षित जा जाता है वकील प्रार्थिया का प्राप पत्र लीकर
लिखा जाकर निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शाप पठिया
गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा